

आदेश

लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर से माँगी जाने वाली वांछित सूचना के निष्पादन हेतु सहायक निदेशक (प्रशासन), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को लोक सूचना पदाधिकारी एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में मनोनीत किया जाता है।

निर्देशित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त एवं लंबित सभी मामलों को ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

P
6/8/26

अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक,
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

ज्ञापांक.....3325...../अकादमी

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर नालंदा।

राजगीर, दिनांक— 06/8/2026

प्रतिलिपि :-

1. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बिहार सूचना आयोग, पटना को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ।
4. सहायक निदेशक (प्रशासन) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. श्री सहरियार अख्तर, अपर पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. श्री अजय प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
7. आई0टी0 मैनेजर, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को सूचनार्थ एवं ऑनलाइन वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. संबंधित शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

P
6/8/26

अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।